रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 766] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 766] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015 /CHAITRA 20, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 997(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पताः esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकते हैं।

प्रारूप अधिसूचना

महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना डब्ल्यूएलपी10.07/सी.आर.297/एफ-1 तारीख 27 दिसंबर, 2007 द्वारा ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधेरी वन्य जीव अभ्यारण के साथ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 के अधीन ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र रिजर्व 625.82 वर्ग किलोमीटर को क्रांतिक व्याघ्र निवास के रूप में घोषित किया था ;

और, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना डब्ल्यूएलपी-10-09/सी.आर.229/एफ-1 तारीख 5 मई, 2010 द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 के अधीन ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र रिजर्व के 1101.77 वर्ग किलोमीटर को "बफर जोन" के रूप में भी घोषित किया था;

और, ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र रिजर्व में बहुत उच्च प्राणीजात और वनस्पतिजात विविधता है और यह वन्य पशुओं और पक्षियों की बृहत संख्या से परिपूर्ण है, जिसमें से व्याघ्र, तेन्दुआ, जंगली कुत्ते, सियार, जंगली बिल्ली, गवल, सांभर हिरण, चितलीदार हिरण, भोंकू हिरण, जंगली बोर, नीलगाय अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं;

और, ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र रिजर्व दक्षिणी उष्णकटबंधी शुष्क प्रणपाती वन है जो महत्वपूर्ण और किस्मों तथा प्ररुपों में जहां कम से कम 75 प्रजातियों के पेड़, 36 प्रजातियों की झाड़ियां, 17 प्रजातियों की घास, 21 प्रजातियों की बेल और विशेष क्षेत्रीय पादपों की प्रजातियां सेलास्ट्रासिऐ जैसे योनाइमस गोडाबीरेनेसिस पाई जाती हैं;

और, मानव निवास की अत्याधिक सन्निकटता तथा ताड़ोबा अंधेरी व्याघ्र आरक्षित में चल रहे मानव विकास के कियाकलापों में उचित रक्षापोय और गतिविधियों पर नियंत्रण की अपेक्षा आवश्यक कर दी हैं;

और ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र रिजर्व का क्रांतिक व्याघ्र निवास जो की ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधेरी वन्य जीव अभ्यारण्य के दो संरक्षित क्षेत्र से मिलकर बना है और जिसमें स्थानीय, संकटापन्न और जोखिमपूर्ण प्रजातियों की जनसंख्या को शाश्वत अनुरक्षित करने के लिए क्रांतिक व्याघ्र निवास के चारो ओर के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है;

अतः, यह आवश्यक है कि ताड़ोबा–अंधेरी व्याघ्र रिजर्व का कांतिक व्याघ्र निवास जो की ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधेरी वन्य जीव अभ्यारण्य के दो संरक्षित क्षेत्र से मिलकर बना है, के चारों ओर संरक्षित क्षेत्र को पारस्थितिक संवेदी क्षेत्र के रूप में संरक्षित और संधारित किया जाए; जिसकी विस्तार एवं सीमाएं, इस अधिसूचना के पैरा 1 में निर्दिष्ट हैं और उद्योगों अथवा उद्योगों के वर्गो के संचालनों तथा प्रकियाओ को कथित पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र में प्रतिषेध किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधेरी वन्य जीव अभ्यारण्य (अर्थात् ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र रिजर्व का क्रांतिक व्याघ्र निवास) की सीमा से 3 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र को ताडोबा-अंधेरी व्याघ्र रिजर्व पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 134661.31 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ और जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले चन्द्रपुर, भद्रावाई, वारोर, चिमुर, सिंदेवाही और मूल तालुकों के 118 गांव सम्मिलित हैं ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधेरी वन्य जीव अभ्यारण की सीमा से 3 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक है और जिसके अंतर्गत ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र रिजर्व का पूर्ण "बफर जोन" और साथ लगे हुए जंगल के इलाके जो की वन्य जीव गलियारा है, भी हैं ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिसीमा और सीमा **उपाबंध 1** में है और ग्रामों की सूची **उपाबंध 2** में है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र (अक्षांश और देशान्तर के साथ) **उपाबंध 3** में है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना —(1) पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजन हेतु राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य और केन्द्र के नियमों तथा केन्द्र सरकार के दिशा निदेर्शो यदि कोई है से संदर्भित होकर आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उनमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण,
(ii) वन,
(iii) नगर विकास,
(iv) पर्यटन,
(v) नगरपालिका,
(vi) राजस्व,
(vii) कृषि,
(viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(ix) सिचाई और
(x) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित वर्तमान भूमिउपयोग, आधारित संरचना और क्रियाकलाप पर कोई प्रतिषेध अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि ऐसा इस अधिसूचना में निर्विचित न हो तथा आंचलिक महायोजना सभी आधारभूत संरचना क्रियाकलापों को और अधिक कुशल और पर्यावरण हितैषी बनाने के सुधार के कारक के रूप में होगी ।

(5) आंचलिक महायोजना को तैयार करने के दौरान पारिस्थितिक संवेदी जोन के भाग ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र आरक्षिति के बफर जोन के रूप में, बफर जोन से संबंधित व्याघ्र आरक्षित योजना को भी विचार में लेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अवकृष्ट क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जलाशयों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संग्रहण प्रबंधन, भू-जल प्रबंधन, मृदा और आद्रता संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी व पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित शहरी बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, उपासनों स्थलों, सांस्कृतिक क्षेत्रों, जिसके अंतर्गत मनोरंजन का महत्व भी है, वनों के किस्म और प्रकार, कृषि क्षेत्र, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र, उद्यान क्षेत्र, आर्किड, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यंकन करेगा ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों के जीविको उपार्जन की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकीय पर्यावरण हितैषी विकास को सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में विकास विनियमित होगा ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के पैरा 4 में दिए गए उपबंधों के अनुसार निर्दिष्ट कृत्यों की मानीटरी का पालन करने के लिए एक सन्दर्भ दस्तावेज़ होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय**— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए निम्नलिखित उपायों को करेंगी, अर्थात् :—

(1) **भूमि—उपयोग**— पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वनों, उद्यान—कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजन के लिए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए भू—उपयोग में संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं होगा :

परंतु कृषि योग्य भूमि का पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर संपरिवर्तन, राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश पर, और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विद्यमान स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, और पैरा 4 कि सारणी में दिए गए क्रमशः मद सं. 10, सं. 16, सं. 22, सं. 29, और सं. 32, में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए ही अनुज्ञात होगा अर्थात्:—

(i) पारिस्थितिक रूप से अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पारिस्थितिक रूप से अनुकूल कोटेज जो अस्थायी रूप से पर्यटकों के अधिभोग के लिए हों जैसे टेंट, लकड़ी के घर आदि :

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण

(iii) लघु स्तरीय उद्योग जो प्रदूषण कारित नहीं हैं,

(iv) वर्षा जल संचयन, और

(v) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग सुविधा स्टोर तथा स्थानीय सुख साधन भी हैं,

परंतु यह और कि जनजातीय तथा गैर-जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 अथवा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना कोई संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं होगा ।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू—अभिलेखों में प्रकट होने वाली किसी त्रुटि को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संशोधित किया जाएगा, जो प्रत्येक मामले में केवल एक बार ही होगा और उक्त त्रुटि को संशोधन केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय को सूचित किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी मामले में उपरोक्त त्रुटि को सुधार करने में भू—प्रयोग में परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा सिवाय उस दशा के जैसा कि इस उप पैरा में उपबंधित किया गया है ।

और, वहां हरित क्षेत्र जैसे वन्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और वैसे ही स्थानों में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी तथा नवेगांव नगजीरा व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन प्रबंधन योजना के अनुसार अनुपयोगी और अनउपजाऊ कृषि क्षेत्र को पुनः वन क्षेत्र बनाने का प्रयास किये जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक स्रोतों**– सभी जलस्रोतों के आवाह क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उनमें से जो अपनी प्राकृतिक संरचना में सूख रहे हैं, उनके संधारण तथा नवीकरण की योजना जोनल मास्टर प्लान में सम्मलित की जाएगी और उन क्षेत्रों में या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियमनिष्ठ मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन**– (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन सें संबंधित क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होगे जो कि आंचलिक महायोजना का भाग होंगे, अर्थात् :–

(ख) महाराष्ट्र सरकार का पर्यटक विभाग, महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग तथा वन विभाग के परामर्श से पर्यटन महायोजना तैयार करेगी ।

(ग) पर्यटन से सम्बधित क्रियाकलापों का विनमयन निम्नवत होगा –

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का प्रसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक–शिक्षा और पारिस्थितिक विकास तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता पर आधारित अध्ययन पर जोर देते हुए और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (समय–समय पर यथासंशोधित) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पर्यटन महायोजना होगी;

(ii) ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान और अंधेरी वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटलों और सैरगाहों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा । तथापि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटलों और सैरगाहों का स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधाओं के लिए केवल पूर्व परिभाषित और अभिहित क्षेत्रों में अनुज्ञात होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विकास और प्रसार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा राज्य स्तरीय पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ;

(4) **प्राकृतिक विरासत**– पारिस्थितिक संवेदी जोन में मूल्यवान नैसर्गिक विरासत की पहचान की जाएगी और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा; सभी जीन पूल के लिए आरक्षित क्षेत्र, चट्टान विरचनाएं, जल प्रतापों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वारोहण, खड़ी चट्टानों आदि को परिरक्षित किया जाएगा ; उनके संरक्षण और संधारण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उपयुक्त प्लान बनाएगी और ऐसे प्लान जोनल मास्टर प्लान के भाग होंगे ।

(5) **मानव निर्मित विरासत**– पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प–तथ्यों, क्षेत्रों और ऐतिहासिक, वास्तु–शिल्पीय, सौन्दर्य विषयक और सांस्कृतिक महत्व की प्रसीमाओं की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर प्लान बनाया जाएगा और जोनल मास्टर प्लान में सम्मिलित किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा।

(7) **वायु प्रदूषण**– राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राज्य वन विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम की विरचना करने वाला प्राधिकरण होगा।

(8) **बर्हिस्त्राव निस्तारण**– पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव जल का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के उपबंधों तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**– ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा.–(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट को निपटान समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908 (अ) तारीख 25 सितंबर, 2000 द्वारा केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नगरपालिका टोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथकन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचकित किया जाएगा;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति से पारिस्थितिक संवेदी जोन के वहां किसी चिन्हित स्थान पर होगा तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी प्रकार की जलन तथा दाह क्रिया अनुमेय नहीं होगी;

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**– पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय ठोस अपशिष्ट का निपटान समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630(अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(11) **यानीय परिवहन**– परिवहन की यानीय क्रियाकलाप आवास के अनुकूल विनियमित होंगे और इस संबंध में जोनल मास्टर प्लान में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और जोनल मास्टर प्लान के तैयार होने और उस के अनुमोदन के दौरान, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति यानीय गतिविधियों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार मानीटरी करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :–

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
i.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां का तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध है सिवाय प्रमाणिक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के संदर्भ में घरों के निर्माण अथवा मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई, और व्यक्तिगत उपभोग के लिए ईट अथवा टाइल्स के निर्माण के लिए: (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सी) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	आरा मीलों की स्थापना	कोई भी नई अथवा विद्यमान आरा मीलों के विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के भीतर अनुमेय नहीं हैं ।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना करना ।	किसी भी नये अथवा विद्यमान प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर में नहीं होगा।
4.	जलाने के उपयुक्त लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।
5.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना का स्थापना	लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।
6.	किसी खतरनाक पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन	लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण	लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।
8.	पर्यटन संबंधी कियाकलापों जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा उड़ान भरना, आदि व्यापारिक कार्य	लागू कानून के तहत अन्यथा प्राविधित को छोड़कर प्रतिषिद्ध।
9.	नई लकड़ी आधारित उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नई लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना प्रतिषिद्ध होगी परन्तु विद्यमान लकड़ी आधारित उद्योग चलाये जा सकते है जब तक कि उन्हे समय–समय पर लागू किसी कानून के तहत प्रतिषेध न किया जाए ।

1659 GI/15-2

विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलो और रिसार्ट की स्थापना करना	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर कोई भी नया वाणिज्यिक होटल या रिसार्ट सिवाय पर्यावरण हितैषी कियाकलापों से सम्बन्धित पर्यटको के अस्थायी आवास अनुमेय नहीं होगा तथापि एक किलोमीटर से अधिक और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक सभी नये पर्यटक कियाकलाप या विद्यमान कियाकलापों का विस्तार पर्यटक महायोजना तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा ।
11.	संनिर्माण कियाकलाप	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा सें एक किलोमीटर की दूरी के भीतर तक किसी भी तरह का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमेय नही होगा सिवाय स्थानीय व्यक्तियों द्वारा स्वयं की आवासीय आवश्यकताओं के लिए किया गया संनिर्माण जिसमें पैरा 3 के उप–पैरा 1 में उलिखित कियाकलाप भी सम्मिलित हैं । (ख) लघु उद्योगों सें सम्बन्धित ऐसे संनिर्माण कियाकलाप जो प्रदूषण उत्पन नहीं करते हैं लागू नियमों के तहत यदि कोई है सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति से अनुमेय होंगे। (ग) एक किलोमीटर से अधिक पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक प्रमाणिक स्थानीय व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुमेय होगा तथा अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण कियाकलाप, जोनल मास्टर प्लान के अनुरूप होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी; (ख) संबंधित केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार वृक्षों की कटाई विनियमित की जाएगी ।
13.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भूजल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी की वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा; (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण, जिसके अंतर्गत निष्कर्षण किए जा सकने वाले जल की मात्रा भी है, के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति अपेक्षित होगी; (ग) सतही या भूजल का कोई विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा; (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
14.	बिजली के तारों और दूर संचार टावरों का संनिर्माण ।	अंडरग्राउंड केबिलिंग को बढ़ावा देना ।
15.	विद्यमान होटलों और विश्रमालयों के परिसरों पर बाड़ लगाना	लागू नियमों के तहत विनियमित।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और उसमें कमी करने के लिए लागू होने वाले उपायों के अनुसार करना होगा ।
17.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन	वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लागू नियमों के तहत विनियमित।
18.	विदेशी प्रजातियों का प्रवेश	लागू नियमों के तहत विनियमित।
19.	पहाड़ी ढलानों और नदी के तटों का संरक्षण	लागू नियमों के तहत विनियमित।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
21.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग	लागू नियमों के तहत विनियमित।

22.	प्रदूषण न उत्पन्न करने वाले लघु उद्योग	पारिस्थितिक संवेदी जोन में गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
23.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण	लागू नियमों के तहत विनियमित।
24.	वायु और यानीक प्रदूषण	लागू नियमों के तहत विनियमित।
25.	विद्यमान होटलों और विश्रमालयों के परिसरों पर बाड़ लगाना	लागू नियमों के तहत विनियमित।
26.	पौलिथिन बैग का उपयोग	लागू नियमों के तहत विनियमित।
27.	कृषि प्रणाली में कठोर बदलाव	लागू नियमों के तहत विनियमित।
संवर्धित क्रियाकलाप		
28.	स्थानीय समुदायों द्वारा प्रचलित कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन	लागू नियमों के तहत अनुज्ञात।
29.	वर्षा जल संचयन	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	अक्षय ऊर्जा स्त्रोंतों का उपयोग	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाए ।

5. **मानीटरी समिति.**—(1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी, जो कि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) जिला कलेक्टर चन्द्रपुर- अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (एक वर्ष की अवधि के लिए) - संदस्य ;

(iii) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक **विशेषज्ञ**- सदस्य ;

(iv) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य ;

(v) क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार- सदस्य ;

(vi)-(xii) महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरण, जल संसाधन, राजस्व, पुलिस, पी.डब्लू. डी., उद्योग तथा शहरी विकास विभागों के प्रतिनिधि– सदस्य ;

(xiii) ताडोबा–अंधेरी व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र निदेशक का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(xiv) उपनिदेशक (बफर), ताडोबा–अंधेरी व्याघ्र संरक्षित- सदस्य सचिव ;

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी

समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 3 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के प्रमुख वन्यजीव संरक्षक को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध 4** में दिए गए रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अगर जरूरत हो तो इस अधिसूचना के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त उपाय दे सकती है।

7. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या विषय-वस्तु से संबंधित विधि का कोई अन्य न्यायालय द्वारा पारित कोई विद्यमान आदेश, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/02/2014–ईएसजेड–आरई]

डॉ. जी. वी. सुब्रह्मण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- 1

ताड़ोबा-अंधेरी व्याघ्र आरक्षिती के प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की परिसीमा और सीमा

उत्तर - आर.एफ. कपार्टमेंट की उत्तरी सीमा सं. 41, 40, 39, 7, 8, 10, 12, 20 (चन्द्रपुर - नागपुर सर्कल सीमा)

पूर्व - आर.एफ. कपार्टमेंट की पूर्वी सीमा सं. 20, 21, 380, 381, 26A, 372, 368, 37, 43, पूर्वी सीमा के गांव तालोडी तुकुम, मसाला, सतारा, कोलारा, मसल बु तेकडी सुभानी, मदनपुर, विहिरगांव तुकुम, पालासगांव, परना, आर.एफ. कपार्टमेंट की पूर्वी सीमा सं. 230, पूर्वी सीमा के गांव श्रीकादा, शिओनी, वासेरा, जामसाला, मोहादी, कलामगांव गांवगाना, बामनी, शिवपुर तुकुम, रत्नापुर, भादुरना, उसराला, मरोदा ।

दक्षिण - मरोदा, कटवान की दक्षिण पूर्व सीमा, दक्षिण सीमा का आर.एफ. कपार्टमेंट सं. 353 तथा 352, 355, 356 दक्षिण पूर्व सीमा । दक्षिण पूर्व सीमा का गांव नागाला, मरारसवारी, सांद्रा, दक्षिण सीमा का गांव सांद्रा, दक्षिण सीमा का आर.एफ. कपार्टमेंट सं. 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409 ।

पश्चिमी - पश्चिमी सीमा का आर.एफ. कपार्टमेंट सं. 409, 397, 388, पश्चिमी सीमा का गांव वारवत, पश्चिमी सीमा का आर.एफ. कपार्टमेंट सं. 180, 183, 184, 185, 187, 188, 195, 197, 202, 201, इराय डैम का डूबी क्षेत्र । पश्चिमी सीमा का गांव कटवाल (भागत), विलोदा, वादला, तुकुम, अशता, किन्हला, सोनेगांव, कोकेवादा तुकुम, अर्जुनी, बेलगांव, निमधेला, पश्चिमी सीमा का आर.एफ. कपार्टमेंट सं. 59, 19, 57, 55 । पश्चिमी सीमा का गांव खादसांगी, पश्चिमी सीमा का आर.एफ. कपार्टमेंट सं. 2, 3पी, दक्षिणी सीमा का आर.एफ. कपार्टमेंट सं. 40, 41 ।

उपाबंध II

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर आने वाले गांव

क्र. सं.	जिला	तहसील	गावों के नाम	गांव या रीथ
1.	चंद्रपुर	चंद्रपुर	देवाडा	गांव
			खंडाला	रीथ
			चोरगांव	गांव
			वारवट	गांव
			ममला	गांव
			निंबाला	गांव
			चक निंबाला	गांव
			वेइगांव.1	गांव
			वेइगांव.2	गांव
			बोरदा	गांव
			हल्दी	गांव
			जरी	गांव
			अडेगांव	गांव
			अगरजारी	गांव
			चक बोरदा	गांव
			पहमी	गांव
			पेठ	गांव
			दोनी	गांव
			फूलजरी	गांव
			मोहरली	गांव
			पिंपलक्हट	गांव
			चक पिंपलक्हट	गांव
			नंदगर	गांव
			महदवाडी	गांव
			गोदसवारी	गांव
			महरसावरी	गांव
			चक महरसावरी	गांव
			नगाला	गांव
			संडला रीथ	रीथ
			चिचपल्ली	गांव
			अजयपुर	गांव
			टेम्टा	गांव
			जंभ्राला	गांव
			वलनी	गांव
			चक वलनी	गांव
			घंटाचौकी	गांव
			लेहारा	गांव
2.	चंद्रपुर	बद्रावती	सोनेगांव	गांव
			बेलगांव	गांव
			अश्टा	गांव
			वडाला टू	गांव
			विलोडा	गांव
			कटवल टू	गांव
			नागपूर	रीथ
			घोसरी	गांव
			खूटवांडा डी	गांव
			खूटवांडा टू	गांव
			खूटवांडा मर.	गांव
			खूटवांडा री.	गांव
			चीचघाट	गांव

1659 GI/15-3

क्र. सं.	जिला	तहसील	गावों के नाम	गांव या रीथ
			टेकाकी	रीथ
			कोंडेगांव टू	गांव
			भमदेली री.	गांव
			भमदेली	गांव
			जुनोना	गांव
			परदी	गांव
			तमसी रीथ	रीथ
			कोडेगांव	रीथ
			सीतारामपेठ	गांव
			थानेगांव	गांव
			अंबेजरी	रीथ
			मुधोली	रीथ
				गांव
3.	चंद्रपुर	वरोरा	शीयोनी	गांव
			अर्जुनी टूकूम	गांव
			अर्जुनी	गांव
			कोकेवाडा	गांव
			भानू शिखडी	रीथ
4.	चंद्रपुर	चिंमूर	मदनपूर टूकूम	गांव
			मदनपूर	गांव
			चैती (डयोरी)	गांव
			चैती टूकूम	रीथ
			टेकडी मांडवजरी	रीथ
			चक टेकडी	रीथ
			टेकडी सुभानी	रीथ
			करबडा	गांव
			कोलारा	गांव
			पलसगांव (पीपराडा)	रीथ
			गोंडमोहाली	गांव
			विहिरगांव टूकूम	गांव
			विहिरगांव	गांव
5	चंद्रपुर	सींडेवाही	चक कूकाधेती	गांव
			कूकाधेती	गांव
			मोहाडी	गांव
			रतनपूर	गांव
			खटेरा	गांव
			खटेरा चक	गांव
			नालेश्वर	रीथ
			जमसाला	गांव
			मसमोहन	गांव
			सींगदजरी	गांव
			वसेरा	गांव
			पंधरवाणी	गांव
			शीयोनी	रीथ
			सीरकडा	गांव
			परना	गांव
			पीपराडा	गांव
			करवा	गांव
			पंगडी	गांव
			पीपरहेटी	गांव
6	चंद्रपुर	मुल	मोरडा	गांव
			उसराला	गांव
			पदजरी	गांव

क्र. सं.	जिला	तहसील	गावों के नाम	गांव या रीथ
			पदजरी री	गांव
			शीवापूर	गांव
			भदूरना	गांव
			कटवान	गांव
			चक कटवान	गांव
			कारवा	गांव
7.	चंद्रपुर	चिंमूर	तलोडी	गांव
			अलीजंजा	गांव
			टेकेपर	गांव
			पंधेरी	रीथ
			पंधेरी टू	रीथ
			टलोडी गौगन्ना	गांव
			किटाली	गांव
			खपरी	गांव
			बमनगांव	गांव
			सतारा	गांव
			खाडसांगी	गांव
			पंधर्पवनी	गांव
			बरदघाट	गांव
			खंडाला	गांव
			मंगरूल	गांव
			जरी	गांव
			बंडर	गांव
			शिवापुर	गांव
			शेडगांव	गांव
			पिटिचूआ	गांव
			मजरा बेगड	गांव
			अमरपुरी	गांव
			सलोरी रीथ	रीथ
			पेठबंसुली	गांव
			जंभुलबोदी	गांव
			अजगांव	गांव
			मुरपर रीठ	गांव
			मुरपर टुकुम	गांव
			केटबोथाली	गांव
			मींजरी	गांव
8.	चंद्रपुर	वरोरा	वेइगांव मोकासा	गांव
			वेइगांव खुर्द	गांव
			बेलगांव भोयर	रीथ
			बेलगांव चक	रीथ
			बेंबल	गांव
			बेंबल चक	गांव
			नीमधेक	गांव

उपाबंध-3

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र

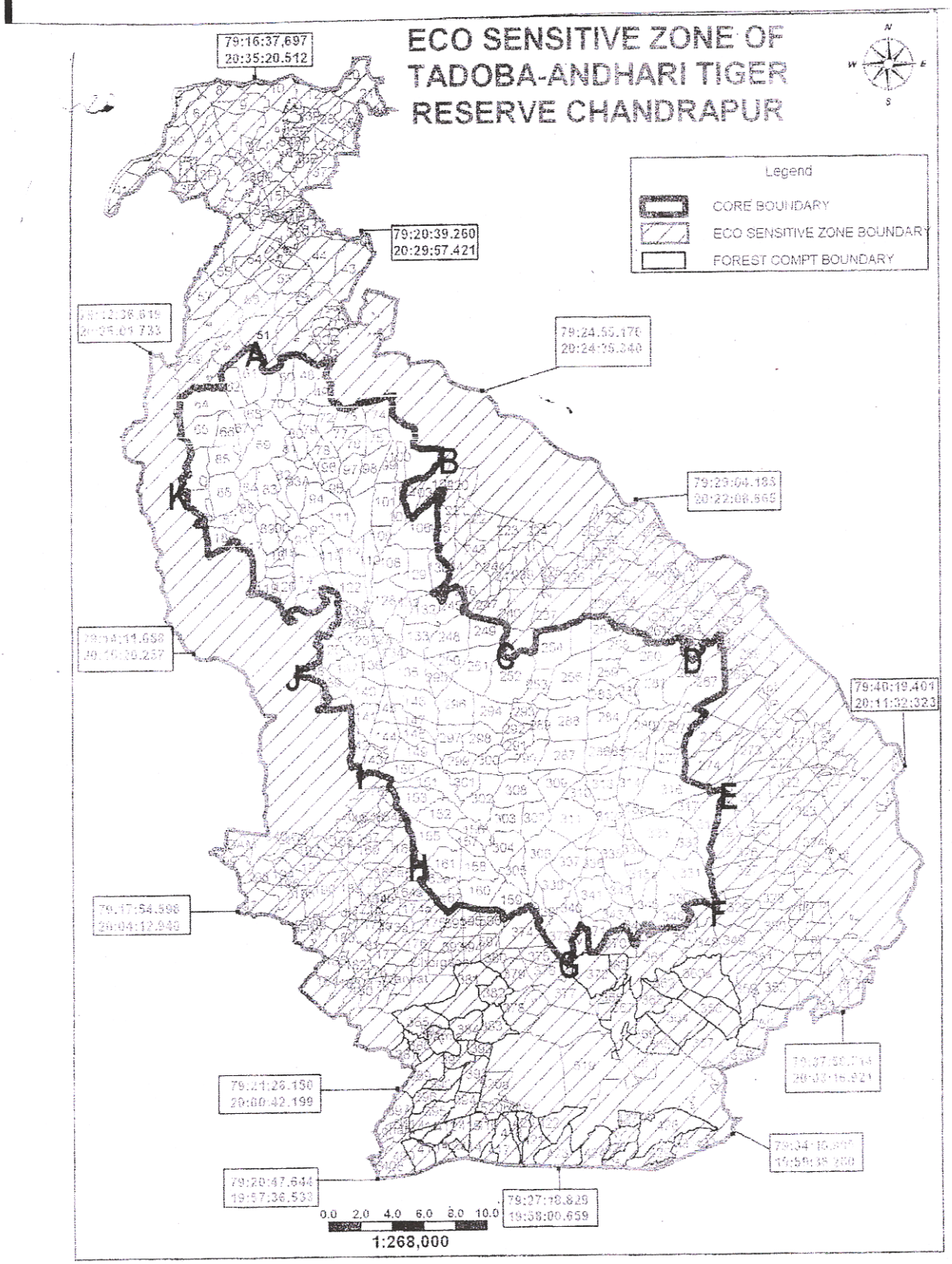

उपाबंध-4

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और दिनांक
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश। ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O.997(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

Whereas, the Government of Maharashtra vide its Gazettee Notification WLP10.07/C.R.297/F-1, dated the 27th December,2007 declared 625.82 square kilometer of Tadoba-Andhari Tiger Reserve as critical Tiger Habitat consisting of Tadoba National Park and Andhari Wildlife Sanctuary together, under section 38 of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

And Whereas, the Government of Maharashtra vide its Gazette notification no. WLP-10-09/CR-229/F-1 dated 5th May, 2010 has also declared 1101.77 square kilometer as "Buffer Zone" of Tadoba Andheri Tiger Reserve under Section 38 of the Wildlife (Protection) Act, 1972;

And Whereas, the Tadoba-Andhari Tiger Reserve has very high faunal and floral diversity and it supports a large number of wild animals and birds, the most important among them are Tiger, Panther, Wild Dog, Jackal, Jungle Cat, Bison, Sambhar Deer, Spotted Deer, Barking Deer, Procupine, Wild Bor, Nilgai;

And Whereas, the Tadoba-Andhari Tiger Reserve has Southern Tropical Dry Deciduous forests which are rich and varied and from where at least 75 trees species, 36 Shrub species, 17 Grass species, 21 climber species and the endemic plant species viz., *Euonymus godaverensis* belonging to family Celastraceae have been reported;

And Whereas, the extremely close vicinity of human habitation, ongoing development activities at the Tadoba-Andhari Tiger Reserve, necessitates the requirement of proper safeguard and control over activities;

1659 GI/15-4

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area around the Critical Tiger Habitat of Tadoba-Andhari Tiger Reserve which consists of two protected areas i.e. Tadoba National Park and Andhari Wildlife Sanctuary for maintenance of perpetual viable population of endemic, endangered and threatened species;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Critical Tiger Habitat of Tadoba-Andhari Tiger Reserve which consists of two protected areas i.e. Tadoba National Park and Andhari Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

And, Whereas, it has become necessary to specify certain areas around the Pakhal Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive zone.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area within three to Sixteen kilometers from the boundary of Tadoba National Park and Andhari Wildlife Sancturay (i.e. Critical Tiger habitat of Tadoba-Andhari Tiger Reserve) in the State of Maharashtra as Tadoba-Andheri Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (herein after called as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.**-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 134661.31 hectares and includes 118 villages of Chandrapur, Bhadrawai, Warora, Chimur, Sindewahi and Mul Talukas of Chandrapur District in Maharashtra.

(2) The Eco-sensitive Zone ranges from three kilometer to sixteen kilometers from the boundary of Tadoba National Park and Andhari Wildlife Sanctuary and includes complete buffer area of Tadoba-Andhari Tiger Reserve and contiguous forest area beyond buffer zone which are wildlife corridors.

(3) The limits and boundary of the Eco-sensitive Zone of are appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended with this notification as **Annexure III;**

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,
(ii) Forest,
(iii) Urban Development,
(iv) Tourism,
(v) Municipal,
(vi) Revenue,
(vii) Agriculture,
(ix) Maharashtra State Pollution Control Board,
(x) Irrigation,
(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) As the buffer zone of the Tadoba-Andhari Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during preparation of the Zonal Master Plan.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing and proposed village settlements, urban settlements, worshipping places, areas of cultural value including recreational value, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green areas, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee constituted under paragraph 5, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 37 and 40 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads,

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Rainwater harvesting, and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas as per buffer zone management plan of the Navegaon Nagzira Tiger Reserve.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas in such a manner as which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

(c) The activity relating to tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Nagzira Wildlife Sanctuary, New Nagzira Wildlife Sanctuary, Koka Wildlife Sanctuary, Navegaon Wildlife Sanctuary and Navegaon National Park except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities and as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at a site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended for time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and made thereunder.

(12) **Industrial units.** -

(a) Establishment of new wood based Industries shall not be permitted within the proposed Eco-sensitive zone:

Provided that the existing wood based Industries may continue unless prohibited under any law for the time being in force.

(b) Establishment of any Industry causing water, air, soil, noise pollution shall not be permitted within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
	Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that the existing wood-based industry may continue unless prohibited under any law for the time being in force.
	Regulated Activities	
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Areas except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that beyond one kilometer and upto

1659 55/15-5

		the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11	Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Areas: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission prior from the competent authority (c) Beyond one kilometer and upto the extent of Eco sensitive Zone, construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be in conformity with the Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated For commercial purpose, under applicable laws.

18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, shall be in accordance with the applicable regulations.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
25	Fencing premises of hotels and lodges	Regulated under applicable laws.
26	Use of polythene bags by shopkeepers	Regulated under applicable laws.
27	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.
Promoted activities:		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted

5. Monitoring Committee:-

(1) The Central Government for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, hereby constitutes a Monitoring Committee, which shall comprise of the following, namely:-

(i) District Collector, Chandrapur - Chairman

(ii) a representative of Non-governmental Organizations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case – Member

(iii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case – Member

(iv) Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, - Member

(v) Senior Town Planner of the area - Member

(vi - xii) a representative of the Departments of Environment, Water Resources, Revenue, Police, P.W.D., Industries, Urban Development of Government of Maharashtra - members

(xiii) Representative of Field Director, Tadoba Andhari Tiger Reserve - Member

(xiv) Deputy Director (Buffer), Tadoba Andhari Tiger Reserve – Member Secretary

(2) The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 as amended from time to time, and are falling in the Eco-sensitive Zone except the prohibited activities as provided under paragraph 3 to this notification, shall be scrutinized by the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533, dated the 14th September, 2006 as amended from time to time, and are falling in the Eco-sensitive Zone except the prohibited activities as provided under paragraph 3 to this notification, shall be scrutinized by the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and shall be referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee. Or the concerned District Collector, or the In-charge of the Protected Area shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associationsor concernedstakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The State Level Eco-sensitive Zone Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities by the 31st March of every year to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests as per pro forma given in **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment and Forests shall give directions, from time to time, to the SESZMC for effective discharge of its functions.

4. All the provisions as provided in this Notification are subject to the existing orders, if any passed by Hon'ble Supreme Court of India, High Courts and any other court of law relating to the subject matter.

[F. No. 25/02/2014-RE/ESZ]

Dr. G. V. SUBRAHMANYAM, Scientist 'G'

Annexure I

Limits and Boundaries of the Proposed Eco-sensitive Zone of Tadoba-Andhari Tiger Reserve.

North -Northern boundary of R.F. Compartment No. 41, 40. 39, 7, 8, 10, 12, 20 (Chandrapur - Nagpur Circle boundary)

East -Eastern boundary of R.F. Compartment No. 20, 21, 380, 381,26A, 372, 368, 37, 43, East boundary of village Talodhi Tukum, Masala, Satara, Kolara, Masal Bu. Tekadi Subhani, Madnapur, Vihirgaon Tukum, Palasgaon, Parna, Easter boundary of R.F. Compartment No. 230, Easter boundary of village Shrikada, Shioni, Wasera, Jamsala, Mohadi, Kalamgaon Gaoganna, Bamni, Shivapur Tukum, Ratnapur, Bhadurna, Usrala, Maroda.

South- South East boundary of Maroda, Katwan, South Boundary of R.F. Compartment No. 353, South East boundary of 352, 355, 356. South East boundary of village Nagala, Mararsawari, Sandra, South boundary of village Sandra. South boundary of R.F. Compartment No. 432, 431, 430, 429, 425, 424, 423, 431, 418, 417, 416, 411, 413, 410, 409.

West - Western boundary of R.F. Compartment No. 409, 397, 388,Western boundary of village Warwat, Western boundary of R.F.Compartment No. 180, 183, 184, 185, 187, 188, 195, 197, 202, 201, Erai Dam Sub mergence. West boundary of village Katwal (bhagat), Viloda, Wadala Tukum, Ashta, Kinhala, Sonegaon, Kokewada Tukum, Arjuni, Belgaon, Nimdhela, Western boundary of R.F. Compartment No. 59, 19, 57, 55. Western boundary of village Khadsangi, Western boundary of R.F. Compartment No. 2, 3P, South boundary of R.F. Compartment No. 40, 41.

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco sensitive Zone

S. No.	District	Tahsil	Name of Village	Village or Rith
1	Chandrapur	Chandrapur	Dewada	Village
			Khandala	Rith
			Chorgaon	Village
			Warwat	Village
			Mamla	Village
			Nimbala	Village
			Chak Nimbala	Village
			Waigaon-1	Village
			Waigaon-2	Village
			Borda	Village
			Haldi	Village
			Zari	Village

1659 GI/15-6

S. No.	District	Tahsil	Name of Village	Village or Rith
			Adegaon	Village
			Agarzari	Village
			Chak Borda	Village
			Pahami	Village
			Peth	Village
			Doni	Village
			Fulzari	Village
			Moharli	Village
			Pimpalkhut	Village
			Chak Pimpalkhut	Village
			Nandgur	Village
			Mahadwadi	Village
			Gondsawari	Village
			Maharsawari	Village
			Chak Maharsawari	Village
			Nagala	Village
			Sandala Rith	Rith
			Chichpalli	Village
			Ajaypur	Village
			Temta	Village
			Jambharla	Village
			Walni	Village
			Chak Walni	Village
			Ghantachouki	Village
			Lohara	Village

S. No.	District	Tahsil	Name of Village	Village or Rith
2	Chandrapur	Bhadrawati	Sonegaon	Village
			Belgaon	Village
			Ashta	Village
			Wadala Tu.	Village
			Wiloda	Village
			Katwal Tu.	Village
			Nagpur	Rith
			Ghosari	Village
			Khutwanda Di.	Village
			Khutwanda Tu.	Village
			Khutwanda Mr.	Village
			Khutwanda Ry.	Village
			Chichghat	Rith
			Tekaki	Village
			Kondegoan Tu.	Village
			Bhamdeli Ry	Village
			Bhamdeli	Village
			Junona	Village
			Pardi	Rith
			Tamsi Rith	Rith
			Kondegaon	Village
			Sitarampeth	Village
			Thanegaon	Rith
			Ambczari	Rith
			Mudholi	Village
3	Chandrapur	Warora	Shioni	Village
			Arjuni Tukum	Village
			Arjuni	Village
			Kokewada	Village
			Bhanuskhindi	Rith
4	Chandrapur	Chimur	Madanapur Tukum	Village
			Madanapur	Village
			Chaity (Deori)	Village
			Chaity Tukum	Rith
			Tekadi Mandavzari	Rith
			Chak Tekadi	Rith
			Tekadi Subhani	Rith

S. No.	District	Tahsil	Name of Village	Village or Rith
			Karbada	Village
			Kolara	Village
			Palasgaon (Piparda)	Village
			Gondmohali	Village
			Vihirgaon Tukum	Village
			Vihirgaon	Village
5	Chandrapur	Sindewahi	Chak Kukadheti	Village
			Kukadheti	Village
			Mohadi	Village
			Ratnapur	Village
			Khatera	Village
			Khatera Chak	Village
			Naleshwar	Village
			Jamsala	Village
			Masmohan	Village
			Singadzari	Village
			Wasera	Village
			Pandharwani	Village
			Shioni	Village
			Sirkade	Village
			Parna	Village
			Piparda	Village
			Karwa	Village
			Pangadi	Village
			Piparheti	Village
6	Chandrapur	Mul	Maroda	Village
			Usrala	Village
			Padzari	Village
			Padzari Ry.	Village
			Shiwapur	Village
			Bhadurna	Village
			Katwan	Village
			Chak Katwan	Village
			Karwan	Village

S. No.	District	Tahsil	Name of Village	Village or Rith
7	Chandrapur	Chimur	Talodhi	Village
			Alizanza	Village
			Tekepar	Village
			Pendhari	Rith
			Pendhari Tu.	Rith
			Talodhi Gaoganna	Village
			Kitali	Village
			Khapari	Village
			Bamangaon	Village
			Satara	Village
			Khadsangi	Village
			Pandharpavani	Village
			Baradghat	Village
			Khandala	Village
			Mangrul	Village
			Zari	Village
			Bandar	Village
			Shiwapur	Village
			Shedegaon	Village
			Pitichua	Village
			Majra Begade	Village
			Amarpuri	Village
			Salori Rith	Rith
			Pethbhansuli	Village
			Jambhulbodi	Village
			Aajgaon	Village
			Murpar Rith	Rith
			Murpar Tukum	Village
			Katebothali	Village
			Minzari	Village
8	Chandrapur	Warora	Waigaon Mokasa	Village
			Waigaon Khurd	Village
			Belgaon Bhoyar	Rith
			Belgaon Chak	Rith
			Bembal	Village
			Bembal Chak	Village
			Nimdheka	Village

1659 SD/15-7

ANNEXURE III

Map of Eco-sensitive Zone

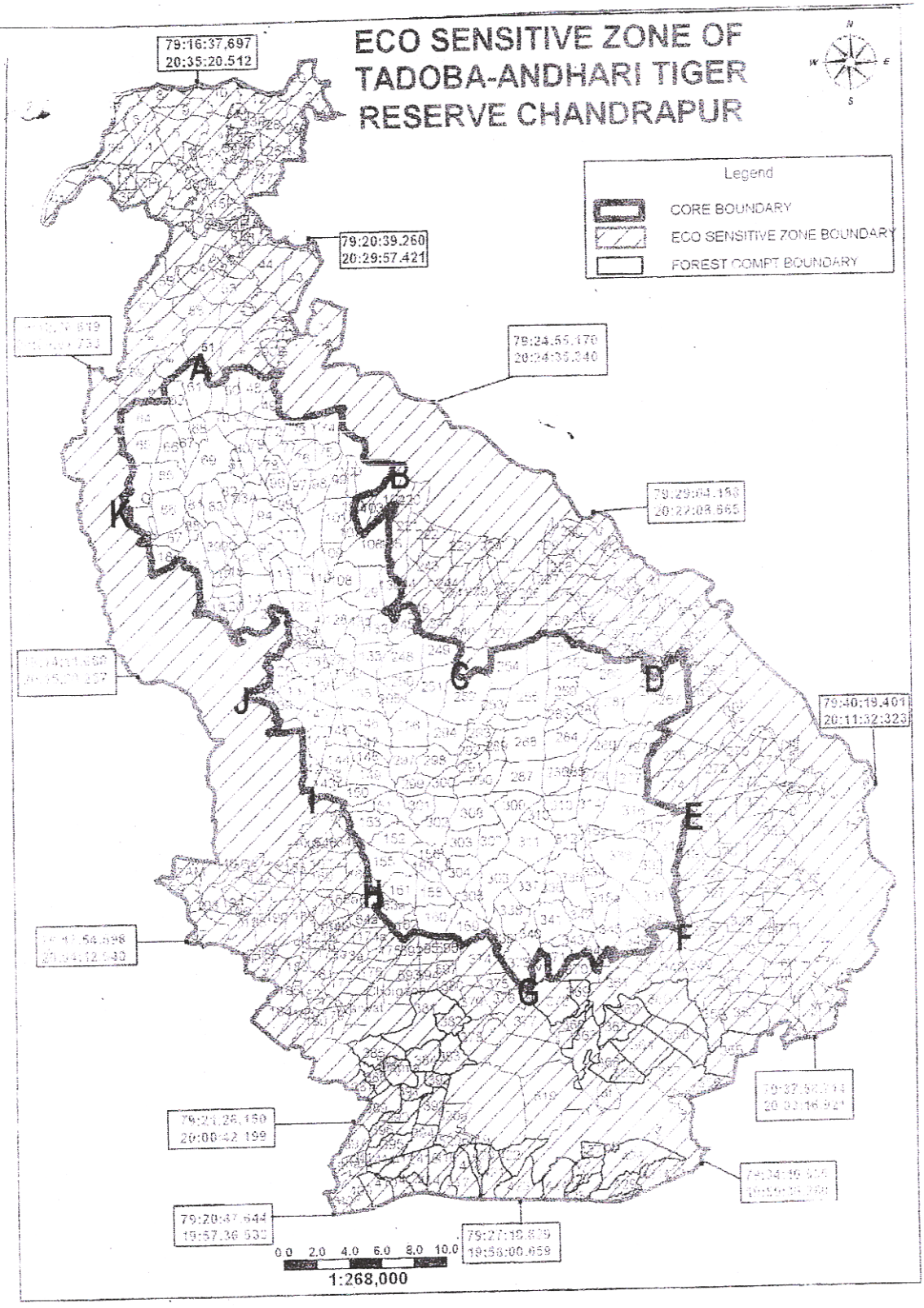

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
5. Details may be attached as Annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
8. Details may be attached as separate Annexure.
9. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
10. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.